बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना

—: कार्यालय आदेश :—

सहायक श्रमायुक्त (शोध) द्वारा दिनांक—13.08.2025 को पालीगंज प्रखंड में विवाह सहायता योजना एवं मातृत्व लाभ योजना के प्राप्त आवेदनों की स्थलीय जाँच करने के उपरांत जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जिसमें विवाह योजनान्तर्गत कुल—06 (छः) तथा मातृत्व लाभ योजना अर्न्तगत कुल—04 (चार) लाभुकों का बयान दर्ज किया गया।

2. प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया कि अधिकांश लाभुक निर्माण श्रमिक नहीं है।

3. जाँच प्रतिवेदन में यह भी प्रतिवेदित किया गया कि किसी पदाधिकारी द्वारा स्थलीय जाँच नहीं की गई है तथा मातृत्व लाभ योजनान्र्तगत दो संतानों के अतिरिक्त संतानों के लिए भी आवेदन किया गया है।

4. श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, पालीगंज, पटना का यह आचरण उनके कार्य एवं दायित्वों के विरुद्ध एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(1) का उल्लंघन पाया गया। इस कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—17/19 के आलोक में विभागीय पत्रांक—5612 दिनांक—15.09.2025 द्वारा आरोप—पत्र गठित कर एवं आरोपों के मदों को सिद्ध करने वाले साक्ष्य/अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न करते हुए अधिकतम एक पक्ष (15 दिनों) के अन्दर उन्हें अपना बचाव बयान समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया।

5. विभागीय पत्रांक—5612 दिनांक—15.09.2025 के आलोक में श्रीमती नाज द्वारा पत्रांक—60, दिनांक—24.09.2025 के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जो सम्यक् विचारोपरान्त स्वीकारयोग्य नहीं पाया गया है। अतः श्रीमती नाज से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध कार्यालय आदेश ज्ञापांक—6644 दिनांक—17.11.2025 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किया गया। जिसमें श्री मनीष कुमार, सहायक श्रमायुक्त (बोर्ड) को संचालन पदाधिकारी एवं श्रीमती नेहा आर्या, श्रम अधीक्षक (योजना एवं पुनर्वास) को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

6. श्री मनीष कुमार, सहायक श्रमायुक्त (बोर्ड) —सह—संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक—330, दिनांक—02.04.2026 के माध्यम से अधिगम/जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जिसमें आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया।

7. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम/जाँच प्रतिवेदन के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—18(3) के प्रावधान के तहत श्रीमती सीमा नाज, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, पालीगंज, पटना से विभागीय पत्रांक—2328 दिनांक—27.04.2026 द्वारा अभ्यावेदन/निवेदन की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्रीमती नाज द्वारा अपना अभ्यावेदन/निवेदन पत्रांक—51 दिनांक—14.05.2026 के माध्यम से उपलब्ध कराया गया।

8. श्रीमती नाज के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के सम्बन्ध में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्रीमती नाज द्वारा समर्पित अभ्यावेदन/निवेदन के सम्यक् समीक्षोपरांत श्रीमती सीमा नाज, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, पालीगंज, पटना के विरूद्ध **"तीन वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से धारित किए जाने की शास्ति"** अधिरोपित करते हुए संचालित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

ह०/
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार।

Sec-05_Krishna-10

ई–मेल/
स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–5/आर०एल०–40–141/2025 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, जिला .कोषागार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
श्रमायुक्त, बिहार।

ई–मेल/
स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक–5/आर०एल०–40–141/2025 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– उप श्रमायुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/श्री मनीष कुमार, सहायक श्रमायुक्त, बोर्ड–सह–संचालन पदाधिकारी/ श्रीमती नेहा आर्या, श्रम अधीक्षक (योजना एवं पुनर्वास) –सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी /श्रम अधीक्षक, पटना/ श्रीमती सीमा नाज, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, पालीगंज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप श्रमायुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को निदेश है, कि इस आदेश का तामिला श्रीमती सीमा नाज, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, पालीगंज, पटना को कराते हुए तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/–
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–5/आर०एल०–40–141/2025 श्र०सं०– 3103 पटना, दिनांक– 2/6/26

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/6/26
श्रमायुक्त, बिहार।

Sec-05_Krishna-11